# न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

**श्री महेन्द्र सोनी** आई.ए.एस.

**पीठासीन अधिकारी**

| **सायल** | **बनाम** | **गैरसायलान** |
|---|---|---|
| सरकार जरिये थाना अधिकारी, पुलिस थाना बागोडा मार्फत सहायक लोक अभियोजक प्रथम जालोर | | 1.अलाबचाय पुत्र इस्माइल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी फूलेरी पुलिस थाना आरजीटी नगर जिला बाडमेर (वाहन चालक)<br>2.श्री अशीद खां पुत्र श्री, इदरीश खां जाति मेव मुसलमान निवासी डोगरी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला अलवर (माल मालिक)<br>3.श्री दोस्त अली पुत्र गुलाम अली जाति सिन्धी मुसलमान निवासी फूलेरी पुलिस थाना आरजीटी नगर जिला बाडमेर(वाहन मालिक) |

प्रकरण संख्या 03/2017

**इस्तगासा अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

उपस्थिति-

1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम।
2. श्री सिकन्दरअली अभिभाषक गैर सायल संख्या 1 व 3
3. श्री रामसिंह अभिभाषक गैर सायल संख्या 2

**निर्णय**

**दिनांक 24.07.2019**

सायल ने यह इस्तगासा सरकार की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 06.09.2017 को श्री भूराराम पाटीदार पुत्र श्री मोगजी निवासी नवापदर पीएस गडी जिला बासवाडा हाल उपनिदेशक/निरीक्षक उर्वरक जिला जालोर ने मय जब्तशुदा खाद के 38 कट्टे व केअर एच के 22 डिब्बो प्रत्येक 1-1 लीटर के व आरोपी श्री आसीदखां के इस आश्य की पेश की कि आज दिनांक 06.09.2017 वक्त 6:30 पी.एम पर मन् भूरालाल पाटीदार उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद जालोर द्वारा मय श्री फुलाराम कृषि अधिकारी एवं श्री सोहनलाल सहायक कृषि अधिकारी बागोडा द्वारा धुम्बडिया के किसानो द्वारा फर्जी डीएपी खाद बेचने वालो को पुलिस थाना बागोडा में डिटेन करवाने की सूचना पर पुलिस थाना बागोडा पहुंच प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री भीमाराम व श्री चुन्नीलाल एवं गणेशाराम की उपस्थित में कथित फर्जी डीएपी खाद्यबेचने वाले श्री आसीद खां पुत्र इदी खां मुसलमान निवासी डुगरी जिला अलवर के कब्जा में पिकप ट्रेला नबंर आर.जे.04जीबी 1637 की बोडी में भरे खाद के कट्टो को व केअर एच (humic acid12%) के भरे प्लास्ट्रीक के एक एकलीटर की पैकिग के डिब्बो को चैक किया गया निरीक्षण किया गया तो पिकअप ट्रोला में कथित डी एपी खाद के कुल 38 बैग (प्रति बैग 50 केजी वजन)व 22 डिब्बे(प्रति डिब्बा एक लीटर)केअर एच (humic acid12%) के पाये गये है उक्त सभी कट्टे डीएपी खाद के नही होना पाये गये एवं उक्त कट्टे soil conditioner पाये गये। प्रत्येक कट्टे पर for agriculture use only लिखा होने तथा soil conditioner लिखा होने तथा packed & marketed by Fraction Agro Private LTD, Near RIICO industrial area, alwar, rajasthan bahror(dist.alwar) contact no.01494-222025 पाया गया। प्रत्येक प्लास्ट्रीक के डिब्बे पर केअर एच (humic acid12%) प्रिन्ट होना पाया गया एवं शिल्ड ढक्कन बन्द है सेल्स रिप्रजेन्टेटिव श्री आसीद खां ने उक्त खाद के

कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट
जालोर (राज.)

कट्टो को एवं humic acid के डिब्बो को अपने कब्जा में रखने परिवहन करने एवं किसानो को बैचान करने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेन्स होना नही बताया है खाद के कट्टे आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आते है जो अधिकृत विक्रेता द्वारा ही बेचा जाता है उक्त सभी खाद के कट्टो एवं humic acid के डिब्बो - को जरिये मौका फर्द साक्षी हेतु जब्त किये गये है एवं सेम्पल लिये गये है फर्म के मैनेनिग डायरेक्टर श्री पवन यादव टीम मैनेजर श्री मगल जाट ग्रुप लीडर श्री प्रवीण एवं सेल्स रिप्रे.श्री आसीद खां द्वारा गॉव धुम्बडिया के किसानो को व अन्य किसानो को धोखा देने की नियत से नकली खाद को असली डीएपी खाद बताकर बैचान कर धोखाधडी की है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियमो की अवेहलना की है अतः आवेदन मय जब्त सुदा नकली खाद के 38 कट्टे एवं ह्यूमिक एसिड के 22 डिब्बे (प्रति डिब्बा 1 लीटर) (humic acid12%) के व सेल्स रिप्रजेन्टेटिव श्री आसीद खां के आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है, वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 112 दिनांक 06.09.2017 धारा 3/7 ई सी एक्ट व 420/120 बी आई पी सी के तहत पजिबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान श्री भूरालाल पाटीदार उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद जालोर व उनकी टीम द्वारा मूर्तिब फर्द एवं मौका पर्चा बाबत नकली जैविक यूरियां शामिल पत्रावली की गई।बयान प्रार्थी श्री भूरालाल, गवाह सोहनलाल, फुलाराम, गणेशाराम, चुन्नीलाल के लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। फर्टीलाइजर कन्ट्रोल अधिनियम 1985 की नियमावली प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मुलजिम आसीद खां व अलाबचाय से अनुसंधान कर दोनो मुलजिमानो को जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट व 420/120 बी आई पी सी के तहत जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप ट्रोला नंबर आर.जे. 04जीबी 1637 को वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया, व बाद अनुसंधान मुलजिमानो को जे/सी करवाया गया।

सम्पूर्ण अनुसंधान से पाया गया है कि मुलजिम आशीद खां पुत्र इदरीश खां जाति मेव मुसलमान निवासी डोगरी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सेल्स रिप्रजेन्टेटिव फ्रैकशन एग्रो प्रा.लि.बहरोड व पिकअप ट्रोला चालक अलाबचाय पुत्र इस्माइल खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी फूलेरी पु.था.आरजीटी नगर जिला बाडमेर द्वारा गॉव धुम्बडिया व अन्य किसानो को धोखा देने की नियत से नकली जैविक खाद डीएपी को असल बताकर धोखाधडी कर बेचान कर आवश्यक वस्तु अधि.का उल्लघन करना पाया गया है जो उपरोक्त मुलजिमानो के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ई.सी.एक्ट व 420/120 बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित है फ्रैकशन एग्रो प्रा.लि. के मैनेजिग डायरेक्टर पवन यादव टीम मैनेजर मांगीलाल जाट व ग्रुप लिडर प्रवीण सैन की भी उपरोक्त अपराध में संलिपत्ता पाई गई है।जिनकी व उपरोक्त खाद उत्पादन करने वाली फैक्टरी की तलाश जारी है।

निवेदन है कि श्रीमान अभियोजन अधिकारी माननीय सीजेएम कोर्ट जालोर के पत्र क्रमांक 268दिनांक 23.11.2017 की पालना में निवेदन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के तहत जारी आदेश 1985 की नियमावली की प्रतिलिपि शामिल की गई है जिसमें वांछित सूचना/आदेश उपलब्ध है।जब्त सुदा कथित नकली डीएपी खाद के 38 कट्टो व हयूमिक एसीड के 22 डिब्बो को दिनांक 06.09.2017 को श्री भूरालाल पाटीदार उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद जालोर द्वारा रूबरू मौतबिरान जरिये फर्द जब्त कर जमा मालखाना करवाया गया है।प्रकरण हाजा में कथित नकली डीएपी खाद के परिवहन में प्रयुक्त पिक अप ट्रोला नम्बर आर.जे.04.जीबी 1637 का मालिक दोस्त अली व

न्यायालय कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज.)

कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट
जालोर (राज.)

वक्त घटना मौजूद वाहन चालक उक्त जब्त सुदा माल का स्वामी नहीं है। उक्त जब्त सुदा कथित नकली डीएपी खाद व हयूमिक एसीड को मुलजिम आसीद खां द्वारा वाहन चालक अलाबचाय के पिक-अप ट्रोले में भरवा कर परिवहन करना पाया गया है।माल मुलजिम आशीद खां के कब्जे से बरामद किया गया है। माल का मालिक आशीद खां ही है।प्रकरण हाजा के अन्य आरोपीगण व माल उत्पादन करने वाली फैक्टरी की तलाश जारी है।प्रकरण में जब्त सुदा कथित नकली डीएपी के सैम्पल परीक्षण हेतु कृषि विभाग द्वारा लिये जाकर संबंधित प्रयोगशाला में भिजवाये गये है।प्रकरण हाजा में अवैध कथित नकली यूरिया खाद के परिवहन में प्रयुक्त जब्त सुदा पिक अप ट्रोला नंबर आरजे 04 जीबी 1637 के वाहन स्वामी दोस्तअली से अनुसंधान से पाया गया है कि उक्त जब्त सुदा पिकअप ट्रोला वाहन स्वामी दोस्तअली द्वारा चालक अलावचाय को किराये पर चलाने के लिये देना पाया गया है व अपने पिक अप ट्रोले में जब्त सुदा खाद के बारे में कोई जानकारी नही होना पाया गया है। जब्त सुदा पिकअप ट्रोले की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है व उक्त ट्रोले को उसके पंजिकृत वाहन स्वामी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया जावे तो कोई आपति नही है।

प्रकरण हाजा में जब्त सुदा कथित फर्जी डीएपी खाद्य के 38 कट्टे (प्रत्येक कट्टा 50 किलोग्राम) व केयर एच (हयूमनिक एसीड)के 22 डिब्बे प्रतेक डिब्बा 1 लीटर) को कृषि विभाग जालोर द्वारा जब्त कर जमा मालखाना करवाया गया है।व डीएपी खाद के कट्टो में से सैम्पल लिया जाकर वास्ते परीक्षण कृषि विभाग द्वारा संबंधित प्रयोगशाला में भिजवाया गया है जिसकी परीक्षण रिपोर्ट आना शेष है। प्रकरण में जब्त सुदा खाद व हयूमनिक एसिड का उत्पादन करने वाली फैक्टरी की तलाश जारी है व प्रकरण हाजा में नामजद अन्य आरोपीगण पवन यादव, मंगल जाट व प्रवीण की तलाश जारी है। प्रकरण हाजा का अनुसंधान पैडिग है।ऐसी स्थिति में उक्त जब्त सुदा खाद व हयूमनिक एसिड को राजसात करना उचित नही है।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गैर सायल संख्या 1 श्री अलाबचाय पुत्र इस्माइल खां जाति मुसलमान निवासी फुलेरी पुलिस थाना आरजीटी नगर जिला बाडमेर (वाहन चालक) 2.श्री आसीद खां पुत्र इदरीश खां जाति मेव मुसलमान निवासी डोगरी पुलिस थाना गोविन्दगढ जिला जालोर (सेल्स रिप्रजेन्टेटिव)व 3.श्री दोस्त अली पुत्र गुलाम अली जाति मुसलमान निवासी फुलेरी पुलिस थाना आरजी टी नगर जिला बाडमेर (वाहन मालिक) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तुअधिनियम में पेश कर निवेदन है कि बाद अवलोकन जब्त सुदा वाहन पिक अप ट्रोला नंबर आरजे 04 जीबी 1637 को राजसात किया जावे तो कोई आपति नही है।

इस्तगासा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल संख्या 3 की ओर से दिनांक 12.09.2017 व दिनांक 11.12.2017 को वाहन को जमानत पर छोडने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गैर सायल के वकील व सहायक लोक अभियोजक प्रथम जालोर को सुना गया। गैर सायल संख्या 3 के विद्वान वकील ने इस प्रकरण में जब्त वाहन पिकअप नबंर आरजे 04 जी.बी 1637 को सुपुदगीनामा जमानत पर छोडने का निवेदन किया जिस पर सहायक लोक अभियाजक प्रथम जालोर ने तर्क दिया कि वाहन की प्रकरण के अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है वाहन को जमानत व सुपुदगी नामे पर छोड दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। बहस में बताये गये तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये गैर सायल संख्या 3 को सुपुदगीनामा व जमानत नामा प्रस्तुत करने

कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट
जालोर (राज.)

रिपोर्ट थानाधिकारी बागोडा द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है अतः माल की कीमत की राशि रूपये 57758/ वाहन मालिक द्वारा जमा करवाये जाने पर वाहन को मुक्त किया जा सकता है।जब्त सुदा माल (खाद व एसिड) बाबत कथित नकली होने के इस मामले में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अन्य कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया है।अतःजब्त सुदा माल का भी निस्तारण करावे। पत्रावली में बहस उपरान्त निर्णय हेतु नियत दिन को गैर सायल संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी द्वारा आंकलित माल की कीमत को अधिक बताया तथा पुनर्मुल्यांकन हेतु लिखा। अन्तिम बहस उपरान्त इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना उचित नहीं है और यह भी कि प्रत्युत्तर तथा बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता पेनल्टी जमा कराने हेतु कह चुके है। मूल्यांकन भी 21.06.2019 अर्थात 1 माह पूर्व किया जा चुका है। अतः अंतिम बहस के पश्चात जब्त माल की कीमत पुर्ननिर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन माना जाता है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्यन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन किया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गैर सायल संख्या 3 जुर्माना राशि जमा कराने हेतु संहमत है तथा गैर सायल संख्या 2 की ओर से कथित नकली खाद होने के संबंध में अन्य कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया है। अतः गैर सायल संख्या 3 दौस्त अली द्वारा जुर्माना राशि रूपये 57758/- अक्षरे रूपये सतावन हजार सात सौ अठावन मात्र राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर ट्रोला नंबर आरजे 04 जी.बी.1637 बाबत जब्ती कार्यवाही को अन्तिम रूप से समाप्त किया जाता है। उक्त राशि राजकोष में जमा का साक्ष्य प्रस्तुत होने पर वाहन बाबत जमानतनामा, सुपुर्दीनामा रिलिज किये जावे। जब्त खाद बाबत कथित नकली खाद होने के इस मामले में गैर सायल संख्या 2 के द्वारा अन्य कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त जब्तशुदा खाद की यदि अन्य किसी मुकदमें में साक्ष्य हेतु जरूरत न हो तो नष्टीकरण कर निस्तारण हेतु थाना अधिकारी बागोडा को आदेशित किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर



Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.04 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: